प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' तीस '

[9/12/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 1965]

परिशिष्ट "अ"

फोन : (07632) 248405 (का.)
— (नि.)
248405 (फै.)
E-mail: twelfare@nic.in
Website: www.balaghat.nic.in

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) बालाघाट, मध्यप्रदेश

।।ज्ञापन।।

क्रमांक / 3100 / स्था02 / न.क्र312 / आवि / 2016 बालाघाट दिनांक 20/9/16

प्रति,

आयुक्त,
आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश भोपाल

28 SEP 2016
DCC रिमार्क
28/9

विषय:– श्री वाय.के. डोंगरे, प्राचार्य कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट तत्कालीन् प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय बिरसा / बैहर जिला बालाघाट के शिकायत प्रकरण की जॉच के संबंध में।

संदर्भ:– आपका कार्यालयीन पत्र क्र / स्था06 / शिका. / सी.3 / 123 / 2015 / 24425, दिनांक 18.11.2015 एवं पत्र क्रं / स्था06 / शिका. / वि.स. / 05 / 16 / 16114, दिनांक 22.07.2016 एवं अर्द्धशासकीय पत्र क्रं / 17725, दिनांक 09.8.2016

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन कीजिए, जिसके तहत् माननीय विधायक श्री संजय उइके, विधान सभा क्षेत्र बैहर द्वारा श्री वाय.के. डोंगरे, प्राचार्य कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट के विरूद्ध इनके उत्कृष्ट विद्यालय बिरसा एवं उत्कृष्ट विद्यालय बैहर में पदस्थ रहने के दौरान की गई गंभीर अनियमितताओं संबंधी की गई शिकायत की जॉच करवाकर, जॉच प्रतिवेदन चाहा गया है साथ ही विषयांकित प्रकरण में विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2011 पर आश्वासन क्रमांक 713 निर्मित हुआ है।

उपरोक्त शिकायत में वर्णित तथ्यों की जॉच हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैहर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जॉच की गई है तथा अपने पत्र क्रमांक / 2006 / स्टेनो / 2016, दिनांक 07 / 09 / 2016 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन कार्यालय मे प्रस्तुत किया है।

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास
आवक क्र. 7999
दिनांक

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैहर की अध्यक्षता में गठित समिति के जॉच प्रतिवेदन के अनुसार संदर्भित शिकायत की जॉच मे यह पाया गया है कि, श्री वाय.के. डोंगरे, प्राचार्य कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट के द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय बैहर एवं उत्कृष्ट विद्यालय बिरसा में प्राचार्य के पद पर पदस्थ रहने के दौरान वर्ष 2006–07 से 2014 तक सामग्री खरीदी में भंडार क्रय नियमों का पालन न करते हुये वित्तीय अनियमितता बरती गई है एवं प्राचार्य द्वारा फर्म मालिक से साठगांठ कर राशि का दुरूपयोग करते हुए शासन को क्षति पहुँचायी जाने का उल्लेख जॉच अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है।

अतः जॉच अधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के अनुसार श्री वाय.के. डोंगरे, प्राचार्य कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट तत्कालीन् प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय बैहर / बिरसा, जिला बालाघाट द्वारा वित्तीय अनियमितताऍं करते हुए शासन को क्षति पहुँचायी गई है, जो पदीय दायित्वों का निर्वहन न करते हुए भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से लिप्त है।

इस प्रकार श्री वाय.के. डोंगरे, प्राचार्य (प्रथम श्रेणी) कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट अपने पदीय दायित्वों के प्रति अत्यंत गैर जिम्मेदार, एवं लापरवाह पाये गये है, तथा प्रथम दृष्टया इनकी कार्यप्रणाली मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं मध्यप्रदेश वित्तीय प्रबंध एवं नियंत्रण की सामान्य नीति के नियम 25 के विपरीत कदाचरण एवं लापरवाही का प्रतीक है।

ऐसी स्थिति में अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितताऍं बरतने के फलस्वरूप श्री वाय.के. डोंगरे, प्राचार्य (प्रथम श्रेणी) कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट जिला बालाघाट के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने हेतु आवश्यक अभिलेख इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर सादर प्रेषित है।

संलग्नः–यथोपरि.

DC 803 / 30/9/16

19/09/16
(भरत यादव)
कलेक्टर,
जिला बालाघाट, म.प्र.

32

फोन (07636) 256322 / 256355 (का.)
मो.नं 9425822171 / 256326 (नि.)
256322 (फै.)
E-mail : sdmbgtbai@gmail.com

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैहर

: : ज्ञापन : :

क्रमांक / 2006 / स्टेनो / 2016 बैहर, दिनांक 07 सितंबर 2016

प्रति,

कलेक्टर,
(आदिवासी विभाग),
बालाघाट

विषय :– श्री वाय. के. डोंगरे प्राचार्य कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट तत्कालीन प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय बैहर / बिरसा के शिकायत प्रकरण की जॉच के संबंध में।

सन्दर्भ :– आपका ज्ञापन क्रमांक / 230 / शिकायत / आ.वि. / 2016 बालाघाट दिनांक 21.04.2016

––000––

विषयांतर्गत सन्दर्भित ज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में श्री वाय. के. डोंगरे प्राचार्य कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट तत्कालीन प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय बैहर / बिरसा के शिकायत प्रकरण की जॉच के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत बिन्दु क्रमांक 01 से 05 तक की जानकारी का प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

1. श्री वाय. के. डोंगरे प्राचार्य कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट तत्कालीन प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय बैहर / बिरसा द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–2007 से 2014 तक सामग्री खरीदी की गई थी जिसमें भंडार क्रय नियमों का पालन न करते हुये वित्तीय अनियमितता की गई।
2. श्री डोंगरे द्वारा क्रय की गई सामग्रियों के देयकों का अवलोकन करने पर पाया गया कि रवि बुक डिपो बिरसा के अनेकों देयकों में एक ही सामग्री के भिन्न–भिन्न दर देयकों में अंकित किए गए है। जिससे स्पष्ट होता है कि क्रय संस्था द्वारा वित्तीय अनियमितता की गई है।
3. श्री डोंगरे द्वारा क्रय की गई सामग्रियों के देयकों का अवलोकन करने प्रर पाया गया कि, कुछ देयकों के पृष्ठ भाग पर स्टाक पंजी में इन्द्राज होना ही अंकित है।

शाखा आ.वि. बालाघाट
शिका–2
दिनांक 08/9/16

क़िन्तु स्टाक पंजी से संबंधित पृष्ठ का मिलान करने पर पाया गया कि सामग्रियां की पृविष्टियॉं नही की गई है। जो वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

4. श्री डोंगरे द्वारा जिन फर्मो से सामग्रियॉं क्रय की गई वर्षवार स्टाक पंजी में सामग्रियों की पृविष्टियां नही करने के कारण छात्रों की सामग्री वितरण संबंधी पावती नही लेना पाया गया है।

5. देयकों के अवलोकन करने पर पाया गया कि बिलों में सेल्सटेक्स कार्यालय का रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया गया है। जिससे यह प्रतित होता है कि, फर्म मालिक एवं प्राचार्य द्वारा सांठगांठ कर राशि का दुरूपयोग करते हुए शासन को क्षति पहुंचायी गई है।

उपरोक्त बिन्दुओं से संबंधित अभिलेखों के अवलोकन उपरांत पाया गया कि श्री वाय. के. डोंगरे प्राचार्य कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट तत्कालीन प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय बैहर/बिरसा द्वारा वित्तीय अनियमितताएं करते हुए शासन को क्षति पहुंचाई गई है। जो पदेन दायित्वों का निर्वहन न करते हुए भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से लिप्त है।

Harsh
(हर्ष दीक्षित)
I.A.S.
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
बैहर